आयुर्वेद विभागीय अनुदान (सहायता) नियम, 1972

भाग प्रथम

नियम (1) संक्षिप्त नाम एवं सीमा :–

(क) ये नियम राजस्थान के गैर सरकारी आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक, होम्योपैथिक तथा भारतीय चिकित्सा से संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाओं के लिये दिये जाने वाले राजस्थान आयुर्वेद सहायता अनुदान नियम 1972 कहलायेगे।

(ख) ये नियम भारतीय चिकित्सा से संबंधित एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त तथा राजस्थान में स्थित, आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक एवं होम्योपैथिक पद्धति की चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान से संबंधित संस्थाओं पर लागू होंगे।

(ग) ये नियम वित्तीय वर्ष 1971–72 से प्रभावित होंगे। इस संबंध में पूर्व प्रसारित सभी नियम इन नियमों की क्रियान्विती से निरस्त समझे जावेंगे।

नियम (2) परिभाषाः–

(क) सरकार – सरकार से तात्पर्य राजस्थान राज्य सरकार से है।

(ख) निदेशक– निदेशक से तात्पर्य निदेशक, आयुर्वेद राजस्थान से है।

(ग) अधिकृत अधिकारी – अधिकृत अधिकारी से तात्पर्य निदेशक द्वारा निरीक्षण एवं अन्य कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एंव कर्मचारी से है।

नोटः– निरीक्षण अधिकारी यथा सम्भव राजपत्रित या तकनीकी ही होंगें।

(घ) संस्था का वास्तविक व्ययः– संस्था के वास्तविक व्यय से तात्पर्य उस आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय से है जो कि संस्था द्वारा गत वित्तीय वर्ष में किया गया है एवं जिसे सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण कर प्रमाणित किया गया है।

(च) अनुमोदित व्ययः– अनुमोदित व्यय से तात्पर्य संस्था द्वारा उसके संचालन हेतु किये गये उस व्यय से है जो नियम 8 के अनुकूल किया गया हो और जिसे अधिकृत अधिकारी ने बाद जांच मान्य किया हो।

(छ) अनुदान :– अनुदान से तात्पर्य उस वित्तीय सहायता से है जो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में नियमान्तर्गत एक या एक से अधिक किश्तों में राज्य सरकार की सुविधानुसार संस्थाओं को दी जाय। अनुदान की यह राशि गत वर्ष के अनुमोदित व्यय पर आधारित होगी।

(ज) वर्ष :– वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

(झ) चिकित्सा संस्था :– चिकित्सा संस्था से तात्पर्य आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक, होम्योपैथिक तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति से कार्य करने वाली उन पंजीकृत चिकित्सा संस्थाओं तथा दवाखानों से है जिनमें बहिरंग व आतुरालय की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। इनमें आरोग्य केन्द्र व जंगम औषधालय भी सम्मिलित हैं।

(ट) शिक्षण संस्थाः– से तात्पर्य उस मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से है जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, प्राकृतिक एवं भारतीय पद्धति की चिकित्सा शिक्षा राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रम के अनुसार बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराती हो। इन संस्थाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति से औषधियों पर अन्वेषण तथा साहित्य के विषयों पर अनुसंधान करने वाली संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।

नियम (3) अनुदान चिकित्सा संस्थाः–

आयुर्वेद विभाग के लिये स्वीकृत प्रावधन प्राप्त होने पर अनुदान नियमों के अन्तर्गत अनुदान की इच्छित संस्थाओं को अनुदान दिया जा सकेगा। साधारणतः एक गांव में इस प्रकार की एक ही संस्था को अनुदान दिया जा सकेगा। राजकीय एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं की संस्था एक स्थान पर निम्न सीमा से अधिक नहीं होगी :–

1. 10,000 तक की जन संख्या पर – 2
2. 25,000 तक की जन संख्या पर – 3
3. 60,000 तक की जन संख्या पर – 5
4. 1,00,000 तक की जन संख्या पर– 7

तथा प्रत्येक प्रति 10,000 पर एक और ।

नियम (4) चिकित्सा संस्थाओं का वर्गीकरण एवं अनुदान राशि का निर्धारणः–

राज्य सरकार द्वारा गठित अनुदान समिति की सम्मति के आधार पर चिकित्सा सस्थाओं का वर्गीकरण अ–ब–स–द श्रेणियों में किया जायेगा। यह वर्गीकरण मुख्यतः निम्न तथ्यों पर आधारित होगा।

1. रोगी संख्या (2) जन संख्या (3) स्थान
4. भवन व्यवस्था (5) औषध निर्माण व वितरण व्यवस्था
6. रोगी सुविधा (7) अनुशासन
8. कर्मचारियों की योग्यता व उन्हें दी जानी वाली संविधाएं
9. संस्था की सुदृढ आवर्तक आय (10) संस्था का निःस्वार्थ एवं व्यवस्थित संचालन आदि।

(अ) (ब) (स) (द) में वर्गीकृत संस्थाओं को नीचे दर्शाये अनुसार अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी :–

संस्था का वर्गीकरण	देय अनुदान जो गत वर्ष के अनुमोदित व्यय का प्रतिशत होगा
(अ)	60 प्रतिशत
(ब)	50 प्रतिशत
(स)	40 प्रतिशत
(द)	30 प्रतिशत

नियम (5) शिक्षण संस्थाओं का वर्गीकरण एवं देय अनुदान राशि :–

शिक्षण संस्थाओं का वर्गीकरण अनुदान समिति द्वारा अ,ब,स, श्रेणियों में किया जावेगा जो कि मुख्यतः शिक्षकों की योग्यता, परीक्षा फल, अनुशासन, शिक्षण व प्रायोगिक सुविधा आदि पर निर्भर होगा :–

शिक्षण संस्थायें	संस्थाओं का वर्गीकरण	देय अनुदान जो गत वर्ष के अनुमोदित व्यय का प्रतिशत होगा
(1) डिग्री और पोस्ट ग्रेज्युएट संस्थाएं	अ	80 प्रतिशत
	ब	70 प्रतिशत
	स	60 प्रतिशत
(2) डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाएं	अ	60 प्रतिशत
	ब	50 प्रतिशत
	स	40 प्रतिशत

नोटः– अनुदान प्राप्त संस्थाओं का एक बार किया गया वर्गीकरण सामान्यतः तीन वर्ष तक प्रभावी होगा। तीन वर्ष की अवधि के पूर्व संस्था के वर्गीकरण की विशेष परिस्थितियों में बदलने के निवेदन पर निदेशक की सिफारिश पर ही विचार किया जा सकेगा।

नियम (6) अनुदान स्वीकृत सीमा :–

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अनुदान राशि की सीमा संस्थान के अनुमोदित व्यय तथा संस्था की वार्षिक आय के अन्तर से अधिक नहीं होगी।

नोटः–1– संस्था की आय में शुल्क एवं अन्य आवर्तक आय तथा केन्द्रीय एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा दी गई आवर्तक अनुदान राशि सम्मिलित होगी।

नियम (7) संस्था की आय :–

संस्था की आय में निम्नलिखित आर्वतक शुल्क, दण्ड व विविध आय सम्मिलित होगीः–

(क) शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क व अन्य शुल्क पर इनमें विषय शुल्क व छात्र संघ शुल्क सम्मिलित नहीं होगे।

नोट–1– शिक्षा शुल्क राज्य शिक्षण संस्थाओं में प्रचलित शुल्क से कम नहीं होगा एवं शिक्षा तथा अन्य शुल्क के संबंध में निर्देश निदेशक द्वारा दिये जावे उनका पूर्ण पालन संस्था द्वारा किया जावेगा।

(ख) भवन किराया।

(ग) रोगियों से प्राप्त निर्धारित प्रवेश शुल्क।

नोट–1– आवर्तक आय से संस्था की निम्न आय सम्मिलित नहीं होगी।

(अ) सुरक्षित निधी व डिपोजिट से ब्याज की आय।

(ब) दान व चन्दे की आय।

(स) अनावर्तक आय।

नोटः– किसी विशेष प्रकार की राशि को आय में सम्मिलित करने या न करने के संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

नोटः– छात्र शुल्क निधि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन में किया जावेगा जिस प्रयोजन में वह प्राप्त हुई है। इस निधि में कीडाशुल्क, निर्धन छात्र शुल्क, विकास शुल्क, यूनियन शुल्क, वाचनालय शुल्क आदि सम्मिलित होंगे। इस निधी में से किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया जायेगा तथा इस राशि का व्यय संस्था के संचालन में नहीं किया जावेगा। इस निधी की जांच भी सनदी लेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष की जावेगी तथा इसकी मूल प्रति अनुदान पत्र के संलग्न प्रेषित की जावेगी।

नियम (8) अनुमोदित व्ययः–

संस्था के अनुमोदित व्यय में नीचे लिखे व्यय ही सम्मिलित होंगेः–

नोटः (1) शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक की योग्यता विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता से कम नहीं होगी।

(2)चिकित्सक संस्थाओं के तकनीकी कर्मचारियों जैसे वैद्य, उपवैद्य आदि की योग्यता राज्य सरकार द्वारा समकक्ष कर्मचारियों के लिये निर्धारित योग्यता से कम नहीं होगी।

(3) शिक्षण संस्थाओं तथा चिकित्सा संस्थाओं के सभी कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य भत्ते समकक्ष राज्य कर्मचारियों से अधिक नहीं होगे।

(4) शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या एवं अध्यापन विषय के आधार पर निदेशक द्वारा निर्धारित की जावेगी। इन नियमों के लागू होने पर शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने हेतु निदेशक को प्रत्येक पद की उपयुक्तता बताते हुए प्रस्ताव भेजेगी।

(5) चिकित्सा संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या परिशिष्ट (ठ) के अनुसार होगी।

(ख) प्रावधायी निधिः– संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में उनके वेतन की $6^{1/4}$ प्रतिशत की दर से जमा कराई गई राशि ।

(ग) मंहगाई भत्ता व मकान किराया राज्य सरकार द्वारा स–श्रेणी हेतु निर्धारित दर की सीमा तक।

(घ) डाक तार टेलीफोन व्ययः–

टेलीफोन व्यय तभी मान्य होगा जबकि महाविद्यालय या चिकित्सालय में इसके लगाने की स्वीकृति निदेशक से प्राप्त हो पूर्व में लगे टेलीफोन के व्यय तभी मान्य होंगे जब कि इन नियमों के लागू होने पर इनकी स्वीकृति निदेशक से प्राप्त की गई है।

(च) जल व प्रकाश व्यय निदेशक द्वारा निर्धारित सीमा तक ही मान्य होंगे।

(छ) भवन किराया, भवन कर व भवन मरम्मत पर होने वाला व्यय।
(ज) यात्रा व्यय :– शैक्षणिक एवं अन्य अधिकारी जो कि राज्य सरकार या अन्य विभाग द्वारा आयोजित बैठकों, सेमीनारों एवं सम्मेलन में भाग लेंगे उन्हें राजस्थान भत्ता नियमों के अन्तर्गत दिया गया यात्रा भत्ता।
(झ) शिक्षक एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु संस्था द्वारा किया गया विज्ञापन व्यय। पर ऐसा व्यय वर्ष में दो बार से अधिक नहीं होगा।
(ट) अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान पत्रिका पर किया गया प्रकाशन व्यय ऐसी पत्रिका की डिग्री से प्राप्त होने वाली राशि आय में सम्मिलित होगी।
(ड) उपकरण एवं यंत्र की खरीद का व्यय। पर यह खरीद नियमानुसार होनी चाहिये।
(त) अन्य व्यय– जैसे फर्नीचर का नवीनीकरण, एवं जीर्णोद्वार, औषधि एवं स्टोर पर किया गया व्यय, आडिट पंजीयन व मान्य शुल्क आदि।
(थ) आतुरालय रोगियों हेतु पृथक व्यय। अगर यह व्यय निदेशालय द्वारा निर्धारित सीमा तक किया गया हो।
(द) छात्रावास हेतु व्यय– इसमें छात्रावास अधीक्षक, लेखक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते तथा साधारण कार्यालय व्यय भी सम्मिलित होगा।

नोटः– विभिन्न पदों पर संस्था द्वारा किये गये व्यय को अधिकतम सीमा के लिये परिशिष्ट (ट) देखें।

शिक्षक व चिकित्सा संस्थाओं के अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा के निर्धारण हेतु प्रत्येक संस्था का वर्गीकरण क्रमशः छात्र व रोगियों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार किया जावेगाः–

शिक्षण संस्था	छात्रों की संख्या	श्रेणी
150	150 एवं अधिक	"क"
	150 से कम पर 50 से अधिक	"ख"
	50से कम पर	"ग"

चिकित्सा संस्था	दैनिक रोगी संख्या औसत दैनिक रोंगी संख्या	श्रेणी
1	150 एवं अधिक	"क"
2	150 से कम पर 50 से अधिक	"ख"
3	50से कम पर	"ग"

(6) कर्मचारियों के वेतन का नियमित रूप से प्रतिमाह पूरा भुगतान किया जावेगा। यदि निदेशक, आयुर्वेद विभाग यह आवश्यक समझते हैं तो संस्था की प्रबन्धकारिणी को यह आदेश दे सकते हैं कि वह कर्मचारियों के वेतन का भुगतान चेक द्वारा करे।

(7) सभी कर्मचारियों के सेवाभिलेख में सम्बन्धित कर्मचारी का फोटो भी लगा हुआ होगा जो जिले के जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ होगा।

(8) कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रबन्ध कारिणी के अतिरिक्त एक विभाग का प्रतिनिधि भी होना आवश्यक है। निम्नलिखित कर्मचारियों के चयन हेतु उनके सामने अंकित विभागीय अधिकारियां की उपस्थिति अनिवार्य है।

कमांक	नाम पद	पद विभागीय अधिकारी
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कम्पाउण्डर एवं धात्री तृतीय श्रेणी एवं इसके समकक्ष वेतन श्रृंखला वाले कर्मचारी	संबंधित जिले का प्रधान चिकित्सक
2	लेखक, प्रयोगशाला सहायक, कल्पद / धात्री द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी, वैद्य ग्रेड द्वितीय एवं इनके समकक्ष वेतन श्रृंखला वाले	जिला आयुर्वेद अधिकारी
3	वैद्य द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी, विवेचक, प्रवक्ता, तथा समकक्ष वेतन पाने वाले	उप निदेशक
4	प्राध्यापक, प्राचार्य एवं इनके समकक्ष वेतन श्रृंखला वाले	निदेशक

नियम – (9)

सहायता अनुदान वर्ष में तीन0चार त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक सरकार की सुविधानुसार किया जावेगा। पुनः सहायता अनुदान की स्वीकृति नवीनीकरण की सिफारिश पर किया जा सकेगा।

<u>नियम–(10) चिकित्सा संस्था को अनुदान देने की शर्तेः–</u>

1. विभागीय अनुदान ऐसी संस्थाओं को ही दिया जावेगा जो कि राजस्थान सोसायटी एक्ट 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। ऐसी संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन पत्र देने के दो वर्ष से पूर्व से ही जन साधारण को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। चिकित्सा संस्था हेतु दैनिक रोगी संख्या शहरों, कस्बों एवं ग्रामों में कमशः 50,30,20 से कम नहीं हो। शिक्षा संस्था हेतु छात्रों की संख्या 40 से कम न हो।
2. ऊपर वर्णित दो वर्ष की अवधि कई संस्थाओं के लिये विशेष परिस्थितियों में निदेशक की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा कम की जा सकती है। परिस्थिति में संस्था के प्रथम वर्ष के अनुमोदित व्यय के आधार पर इस किश्त में एडहॉक नियम (4) के अन्तर्गत दी जा सकती है।
3. राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं (चिकित्सा) के लिये निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक होगाः–'

(अ) जन साधारण को निःशुल्क बहिरंग, अंतरग चिकित्सा सुंविधा बिना जाति के भेदभाव उपलब्ध करायेगी।

(ब) चिकित्सालय निश्चित समय पर खोलना व बन्द करना होगा एवं पूरे कार्य दिवस में कम से कम 6 घन्टे कार्य करना होगा।

(स) औषधालय/चिकित्सालय के मुख्य दृष्टव्य स्थान पर एक सूचना पट्ट लगाया जावेगा जिस पर स्पष्ट शब्दों में निम्न सूचना अंकित होगीः–
औषधालय का नाम .....
औषधालय वैद्य/हकीम का नाम जो औषधालय का प्रभारी हो.....
हर ऋतु में औषधालय खोलने व बन्द होने का समय .....
जन साधारण की निःशुल्क चिकित्सा का अंकन।

(द) औषधालय बिना विशेष परिस्थिति के जो कि व्यवस्था की नियंत्रक सीमा से बाहर है निदेशक के आदेश के अभाव में एक दिन से अधिक बन्द नहीं रहेगा।

(च) वैद्य, हकीम संस्था का प्रभारी मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे। मुख्यालय छोडने की स्थिति में वे अपने कार्यभार की सुव्यवस्था करेंगे।

(छ) संक्रामक रोग का प्रकोप होने पर वैद्य/हकीम विशेष ध्यान व उत्साह से जन साधारण की चिकित्सा सेवा करेंगे एवं निदेशक के आदशों का पालन करेंगे।

(ज) अनुदान की समस्त राशि संस्थान को चलाने हेतु ही उपयोग में लायी जावेगी जिसका लेखा नियमित व व्यवस्थित रूप से रखना होगा। और हर तिमाही बाद निर्धारित फार्म में विस्तृत विवरण निदेशक, आयुर्वेद विभाग या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होगा। परिशिष्ठ (छ)

(झ) सस्था का प्रभारी वैद्य/हकीम अन्य कोई कार्य जिससे संस्था के दैनिक कार्य में बाधा पडती हो नहीं करेगा।

(ट) रोगी पंजिका निर्धारित फार्म में बराबर रखी जावेगी (परिशिष्ठ(च)

(ठ) हर माह का रोगी विवरण आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेषित करना आवश्यक होगा। संस्था का वार्षिक रोगी गोश्वारा आगामी वर्ष के जनवरी माह में निदेशालय को प्रेषित करना होगा (परिशिष्ठ(छ)

(ड) संस्था के अन्य रेकार्ड निर्धारित फार्म में नियमित रूप से रखे जावेगे एवं समय समय पर निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारियों को औषधालय के निरीक्षण, लेखा जांच आदि करने में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जावेगा।

(ढ) औषधालय के सुधार एवं व्यवस्था हेतु निदेशक द्वारा जारी किये गये निर्देशों का संस्था द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जावेगा।

(ण) चिकित्सा सेवाओं के सदाचार का पूर्ण रूप से पालन किया जोवगा।

(त) समाज विरोधी तत्व तथा राजनैतिक कार्यो में संस्था एवं कर्मचारी भाग नहीं लेंगे।

(थ) अनुदान प्राप्त संस्थाएं यथासम्भव वही औषधियों का प्रयोग करेंगी जो राज्य सरकार द्वारा राजकीय औषधालय हेतु फारमोकोपिया अन्तर्गत भैषज्य संग्रह मान्य है।

(प) जिन संस्थाओं में स्वयं की रसायनशाला में तथा उनमें जो ओषधियां निर्मित होती है उनका मूल्य अपनी स्वयं की संस्था के लिये लागत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये।

(फ) संस्था को प्रतिवर्ष अपनी सम्पति एंव आय की सूची विभाग को प्रेषित करनी होगी। यह विवरण सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
(ब) संस्था में नई प्रवृति प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग से उसकी अनुमति प्राप्त कर लेनी आवश्यक होगी। बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये किसी भी नई प्रवृति का व्यय अनुमोदित व्यय नहीं माना जावेगा।
(भ) संस्था को किसी भी विद्यमान प्रवृत्ति को बन्द करने की सूचना मय विस्तृत कारणों के विभाग को 3 माह पूर्व देना आवश्यक है।
(म) बिना पूर्व सूचना एवं स्पष्टीकरण बताये हुए कोई प्रवृत्ति बन्द करने पर संस्था को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
(र) संस्था का अपने धन का विनियोग भार सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस में ही रखना होगा। अन्यत्र विनियोग अनुमति संस्था को नहीं होगी।
(ल) अनुदान राशि का वह भाग जिसका संस्थान उपयोग नहीं कर पाई है राज्य सरकार को वापिस करना होगा।

<u>नियम–(11)</u>

मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी शिक्षण संस्थाओं को निम्न शर्तो को मान्य करने पर ही अनुदान स्वीकृत किया जावेगा :–
(क) जो संस्था रजिस्ट्रार संस्थांएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा पंजीकृत व सुव्यवस्थित हो।
(ख) आयुर्वेदिक/यूनानी/होमयोपैथिक की शिक्षा मान्य पाठ्यकमानुसार नियमित व व्यवस्थित रूप से बिना किसी भेदभाव के जनसाधारण को उपलब्ध कराती हो।
(ग) संस्था समय समय पर वांछित सूचना निदेशक को प्रेषित करती हो।
(घ) संस्था किसी व्यक्ति विशेष या संघ के लिये आय व लाभ का साधन नहीं हो।
(च) प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना निदेशक को अविलम्ब दी जाती है।
(छ) संस्था को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने हेतु जो निर्देश निदेशक द्वारा समय समय पर प्रसारित होते हैं उनका तत्काली पालन करती है।
(ज) संस्था का रेकार्ड तथा लेखे सुव्यवस्थित रूप से रखना होगा, जिसका निरीक्षण एवं अंकेक्षण महालेखाकार राजस्थान जयपुर, निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेंगे।
(झ) छात्रों की संख्या निमय 10(1) के अन्तर्गत निर्धारित संख्या से कम नहीं होगी।
(ट) राजकीय अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था के वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिये ताकि संस्था का कार्य सुचारू रूप से चल सके एवं स्टाफ को वेतन आदि समय पर नियमित रूप से मिलता रहे।
(ठ) शिक्षण संस्था अपने आय व्यय के विवरण छात्रो की उपस्थिति एवं संस्था की प्रगति आदि की त्रैमासिक रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करेगी (परिशिष्ठ(ख)

(ड) अनुदान जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत हुआ है उसी में व्यय करना होगा। अन्य प्रयोजन में नहीं।

(ढ) शिक्षको की योग्यता एवं आयुः–

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले शिक्षक ही नियुक्ति किये जायेगें। कोई भी शिक्षक 58 वर्ष की आयु के बाद निदेशक की स्वीकृति के बिना सेवा में नहीं रखा जावेगा। निदेशक की अनुमति से अधिक से अधिक 60 वर्ष की आयु तक ही शिक्षक सेवा में रखा जा सकेगा। क्रम संख्या–2 पृष्ठ–11 पर देखें।

(3) प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण वेतन प्रतिमाह दिया जायेगा जो कि अगले माह की 10 तारीख तक दिया जाना चाहिये।

(म) पाठ्यक्रम का चलाना, बन्द करना बिना निदेशक की स्वीकृति के कोई भी नवीन पाठ्यक्रम एवं कक्षा नहीं चलायी जावेगी तथा कोई पाठ्यक्रम एवं कक्षा निदेशक की बिना पूर्व स्वीकृति के बन्द नहीं की जावेगी।

नियम– (12) अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान देने की आवश्यक शर्तेः–

(अ) संस्था के पास अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वनस्पति उद्यान आदि की व्यवस्था है।

(ब) अनुदान प्राप्त संस्था के वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में हो ताकि अनुसंधान कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(स) संस्था के उपयोगिता व अनुसंधान कार्य इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे निदेशक की दृष्टि में वित्तीय सहायता आवश्यक समझी जानी तथा ऐसा अनुदान जन साधारण की सेवा एवं आयुर्वेद या यूनानी विज्ञान की उन्नति में आवश्यक हो।

(द) संस्था को लेखा जोखा व रिकार्ड व्यवस्थित रखना होगा जिसका निरीक्षण महालेखाकार व निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

नियम– (13)

प्रत्येक अनुदान प्राप्त संस्था तीन या इससे अधिक व्यक्तियों से गठित प्रबन्धकारिणी समिति के नियत्रण में रहेगी। यह समिति संस्था को नियमानुसार तथा प्रसारित आदेश/निर्देश का पालन करते हुए सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी होगी। संस्था की सुव्यवस्था अनुदान प्राप्त करने की एक आवश्यक शर्त होगी।

नियम ' (14) नवीन एवं अतिरिक्त व्ययः–

किसी मद में कोई भी नवीन अतिरिक्त व्यय जो कि अनुमोदित व्यय की सीमा में नहीं आता है बिना निदेशक की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जावेगा।

नियम– (15) अनावर्तक अनुदानः–

(क) अनावर्तक अनुदान वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जावेगा।

(ख) अनावर्तक अनुदान संस्था के भवन निर्माण, भवन पर मरम्मत, भवन परिवर्तन, फर्नीचर क्रय, उपकरण क्रय एवं पुस्तकालय हेतु दिया जा सकता है। भवन में छात्रावास भवन भी सम्मिलित है।

(ग) भवन निर्माण हेतु सहायता तभी दी जा सकेगी जब कि भवन का नक्शा व व्यय मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित है तथा जो निदेशक के द्वारा अनुमोदित हो। अनुदान राशि का 50 प्रतिशत संस्थान स्वयं अपने पास से लगाने में समर्थ हो।

(घ) भवन के जिस कार्य के लिये अनुदान दिया गया है, उसी कार्य में अनुदान राशि नहीं लेंने की स्थिति में पूरी अनुदान राशि मय ब्याज के संस्था से वापिस वसूल की जायेगी। यह वसूली एरियर आफ लेण्ड रेवेन्यू की तरह की जावेगी।

(च) अनुदान स्वीकृति के पूर्व सक्षम अधिकारी का निम्न तथ्यों पर संतुष्टि होना आवश्यक हैः–

(1) प्राप्त व्यय विवरण का सनदी लेखाकार द्वारा आडिट किया हुआ हो।

(2) निर्माण विभाग से निर्माण हेतु भवन मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

(3) निर्माण हेतु व्यय अनुमोदित नक्शे के अनुसार ही है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र निर्माण विभाग व विभागीय अधिकारी से प्राप्त कर लिया गया हो।

(छ) साधारणतया अनावर्तक अनुदान अनुमोदित निर्माण कार्यो की पूर्ति पर ही दिया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में जहां अंतरिम किश्तों की स्वीकृति देनी हो वहां निदेशक निम्न तथ्यों की संतुष्टि करेगाः–

(1) व्यय विवरण पत्र सनदी लेखाकार द्वारा आडिट किया हुआ प्राप्त हुआ है।

(2) जों भी किश्त स्वीकृत की जावेगी वह वास्तविक व्यय की 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। अनुदान की अंतिम किश्त का भुगतान के समय वांछित प्रमाण पत्र इस नियम के नीचे दिये उप नियम (3) के अनुसार आवश्यक होगा।

(3) सहायता अनुदान जिस भवन के निर्माण, क्रय, विकास या जीर्णोद्वार हेतु दिया गया है वह भवन अन्य कार्य हेतु बिना निदेशक की अनुमति के उपयोग में नहीं लिया गया है। अगर ऐसे भवन अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाये जा रहे हैं या उन्हें गिरवी रखा जाता है, तो ऐसे भवनों पर दी गई सहायता राशि की वसूली का पहला हक राज्य सरकार का है एवं ऐसे भवनों के मूल्यांकन में राज्य सरकार को ही निर्णय का अधिकार होगा। यह शर्ते राज्य सरकार व संस्था के बीच किये गये अनुबन्ध पर स्पष्टतया उल्लेखित होगी। अनुबन्ध पत्र में निदेशक उचित संशोधन हेतु अधिकृत होंगे एवं वह संशोधन संस्था को भी मान्य होगा।

नियम–(16):– सहायता अनुदान की राशि में कमी करना, वापिस लेना आदिः

निदेशक के निर्णय अनुसार सहायता अनुदान की राशि को कम किया जा सकता है इसे वापिस लिया जा सकता है या उसे बन्द किया जा सकता है यदि निदेशक की राय में स्पष्ट नहीं हो जाता कि संस्था अनुदान नियमों का पालन करने में बिल्कुल असमर्थ रही है, परन्तु ऐसा निर्णय लेने से पहले निदेशक द्वारा उस संस्था को कारण बताओ नोटिस दिया जावेगा। इससे प्रभावित संस्था को निदेशक (Slow Cause Notice) के आदेश (सहायता कम करना, बन्द करना, वापिस लेना) के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील करने की सुविधा होगी। ऐसी अपील, निदेशक के आदेशों की प्राप्ति दिनांक से 2 माह के अन्दर–अन्दर ही राज्य सरकार को की जा सकेगी।

नियम– (17) संस्था को बन्द करना :–

कोई भी संस्था एक वर्ष का नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को दिये बिना बन्द नहीं की जावेगी।

नियम– (18) कय :–

अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था के समस्त कय जो कि 250/– रूपये से ज्यादा के हो को निर्धारित टेण्डर आमंत्रित करके ही किये जाए। यथा सम्भव टेण्डर की न्यूनतम दर ही स्वीकार कर कय आदेश दिया जावेगा। विशेष परिस्थिति में अगर द्वितीय न्यूनतम दर पर कय करने की आवश्यकता हो तो इस संबंध में प्रबन्ध समिति के निर्णय को अभिलेख किया जाना चाहिये। तीसरी न्यूनतम दर पर कय करने के लिये निदेशक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

भाग द्वितीय

नवीन सहायता आवेदन एवं सहायता अनुदान को चालू रखने हेतु आवेदन पत्र पर निदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु सिफारिश करने से पूर्व की जाने वाली कार्यवाहीः–

1. अनुदान की इच्छुक संस्थाओं द्वारा नये अनुदान हेतु या अनुदान चालू रखने हेतु निर्धारित फार्म पर आवेदन पत्र भरकर प्रति वर्ष 30 जून तक निदेशक, आयुर्वेद विभाग अथवा संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय में देना होगा। (परिशिष्ठ क,ख,ग)
2. आवेदन पत्र की प्राप्ति पर निदेशक अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी संस्था का निरीक्षण करेंगे एवं अनुदान नियमों के अनुसार आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों पर विस्तृत रिपोर्ट देंगे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी प्रमाणित करेगा कि

उसने सभी तथ्य एवं अन्य संबंधित अभिलेख व्यक्तिगत जांच कर ली है।
नोटः– जिस संस्था को 250/– रूपये माहवार से ज्यादा अनुदान देना उचित समझा जाता है उस संस्था का निरीक्षण उप निदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3. अनुदान पर विचार करते समय निदेशक निम्न तथ्यों को प्राथमिकता देंगेः–
   (1) संस्था की आर्थिक स्थिति जनता की सेवा के साथ उसकी ख्याति किस प्रकार है।
   (2) गत वर्ष में संस्था का वास्तविक एवं अनुमोदित व्यय।
   (3) विगत दो वर्षो में कितने रोगियों की चिकित्सा हुई।
4. निदेशक एक स्वीकृत विवरण पत्र तैयार करेंगे। जिसमें हर संस्था को देय राशि का अंकन होगा।
5. विवरण पत्र के अनुसार नवीन सहायता अनुदान हेतु राज्य स्तर पर एक समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

1. स्वास्थ्य सचिव	अध्यक्ष
2. उप सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो अराजकीय सदस्य	
4. निदेशक आयुर्वेद विभाग	सदस्य सचिव

इस समिति को चिकित्सा, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के सहायता अनुदान का नवीनीकरण करने समस्त नवीन सहायता अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। यह समिति अनुदान प्राप्त संस्थाओं के वर्गीकरण पर निर्णय लेगी।

6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग अनुंदान समिति के समक्ष अनुदान की सिफारिशों के साथ विवरण पत्र पर निम्न प्रमाण पत्र भी देंगेः–

1– संस्थाओं के आवेदन पत्र एवं संलग्न पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

2– विवरण पत्र में जो सूचना दी गई है वह मूल आवेदन पत्र के अनुसार है एवं इसका निरीक्षण निदेशक, उप निदेशक, जिला आयुर्वेद अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है।

7. सभी प्रकार के वार्षिक अनुदानों के नवीनीकरण का अधिकार, निदेशक आयुर्वेद को होगा। निदेशक उन संस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक पूर्ति होना प्रमाणित करेंगे तत्पश्चात उपरोक्त अनुदान मय त्रैमासिक, छः मासिक, अथवा वार्षिक रूप में देय होगा।
8. नवीनीकरण में संबंधित संस्था के आय व्यय की जांच व प्रमाणिकरण उपरांत यदि देय अनुदान राशि गत वर्ष प्रदत्त राशि से 25 प्रतिशत अधिक हुई तो राज्य की अनुदान समिति में विचारोपरान्त निर्णय होने पर ही वह अधिक राशि देय होगी।
9. संस्था द्वारा अनुदान शर्तो व नियमों का पालन नहीं किया जाने पर अनुदान की पूरी राशि मय ब्याज के वसूल की जा सकेगी। यह वसूली एरियर आफ लेण्ड रेवेन्यू की तरह तैयार की जा सकेगी।

भाग – तृतीय

आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक एवं होम्योपैथिक शिक्षण एवं चिकित्सा तथा अनुसंधान संस्थाएं निर्धारित फार्म में अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष 30 जून तक पत्र, निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर को प्रेषित करेगी। आवेदन पत्रों की जांच एवं समस्त तथ्यों का निरीक्षण निदेशक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निदेशक की सिफारिश पर राज्य स्तरीय अनुदान समिति द्वारा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

पृष्ठ संख्या 8(ढ) शिक्षकों की योग्यता एंव आयु के कम में

(2) शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्त भी वही होगी जो नियुक्ति के समय संस्था व कर्मचारियों के बीच लिखित रूप में तय हुई हो। सेवा में आने के एक माह के अन्दर–अन्दर शर्तो की लिखित रूप में अनुरोध किया जाना आवश्यक होगा।

:: परिशिष्ठ (क) संभाग 2 नियम (1) ::
अनुदान हेतु आवेदन पत्र (चिकित्सा संस्था)

1– प्रार्थी का नाम तथा संस्था में उसका पद –

2– पता –

3– सस्था का नाम जिसके लिये अनुदान की
प्रार्थना की गई है–
4– संस्था का स्थान गांव/नगर/शहर जिला
जहां पर औषधालय स्थित है।
5– वर्ष व दिनांक जिसमें संस्था प्रारम्भ हुई–
6– संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति का विवरण
संस्था की आय
7– संस्था यदि ट्रस्टी हो तो ट्रस्टीज का पूर्ण
विवरण व प्रबन्ध कारिणी समिति का विवरण–
8– संस्था के वैद्य प्रभारी की शैक्षणिक योग्यता
तथा अनुभव
9– संस्था की वित्तीय स्थिति/आय निजी
चिकित्सा व्यवसाई हो तो उसकी वित्तीय स्थिति–
10–घोषणा– समस्त अनुदान नियमों के उल्लेखित शर्तो का संस्था द्वारा मान्य व पालन होगा।

दिनांक :..... प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोटः– आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित सूचना संलग्न होनी चाहियेः–

1. गत वर्ष का आय व व्यय विवरण।
2. गत वर्ष की रोगी संख्या जिनकी निःशुल्क चिकित्सा की गई हो।
3. गत दो वर्षो में संस्था का निःशुल्क संचालन हुआ हो।
4. निजी चिकित्सा व्यवसाईयों हेतु निम्नांकित अतिरिक्त सूचना भी साथ ही संलग्न करना आवश्यक होगाः–

1– चारित्रिक प्रमाण पत्र एक जिम्मेदार पदाधिकारी या गांव के सरपंच द्वारा।
2– एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा शारीरिक प्रमाण पत्र।
3– पंजीकृत प्रमाण पत्र की सही प्रमाणित प्रतिलिपि।
4– निरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट।

———

(ग–2 नियम–1)

(परिशिष्ठ – ख)
अनुदान हेतु आवेदन पत्र – (शिक्षण संस्था)

1– प्रार्थी का नाम व संस्थान में उसका पद –
2– पता –

3– वर्ष व दिनांक जिसमें संस्था प्रारम्भ हुई–
4– संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति
का पूर्ण विवरण
5– यदि संस्था ट्रस्ट हो तो ट्रस्टीज का पूरा
विवरण प्रबन्ध कारिणी समिति का विवरण–
6– घोषणा– संस्था को अनुदान नियमों के अन्तर्गत उल्लेखित
समस्त शर्तो को संस्था द्वारा मान्य व पालन
करना होगा।

हस्ताक्षर
(संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सचिव)

नोटः– आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित पत्र संलग्न होने चाहियेः–

1. गत वर्ष का आय व्यय विवरण।
2. संस्था के कार्यरत स्टाफ की सूची वेतन श्रृखंला तथा संस्था के कार्य की समस्त सारिणी।
3. गत वर्ष में छात्रों की संख्या तथा परीक्षा परिणाम।
4. गत वर्ष की प्रशासनिक वित्तीयता पर विस्तृत रिपोर्ट।

––

(भाग 2 नियम–1)

परिशिष्ठ (ग)

अनुदान हेतु आवेदन पत्र (अनुसंधान संस्थाए)

1– प्रस्तावित अनुसधांन योजना का नाम–

2– अनुसंधान कार्यकर्ता का पूरा नाम
मय शैक्षणिक योग्यता तथा पद आदि के

3– स्थान जहां अनुसंधान किया जायेगा या
किया जा रहा है

4– योजना का लक्ष्य

5– अनुसंधान को पूर्ण करने हेतु वांछित समय

6– उपकरणों तथा वांछित स्टाफ की मांग
का विवरण

7– संस्था की वित्तीय स्थिति–

8– अनुसंधान हेतु किये जाने वाले पूरे व्यय
का योग–

9– योंजना के संचालन हेतु हर(लक्ष्य) पर
एक विस्तृत रिपोर्ट–

हस्ताक्षर

पता.....

नियम – 10 (ट)

परिशिष्ठ (छ)

नाम संस्थाः .....

नाम औषधालय : ..... स्थान

रोगी गोश्वारा आयुर्वेद / यूनानी / प्राकृतिक / होम्योपैथिक औषधालय

..... स्थान.....द्वारा

माह ..... (में निःशुल्क चिकित्सा की गई) में चिकित्सा की गई

क्र.सं.	रोग, रोगियों की संख्या			विशेष विवरण
	पुरूष	स्त्री	बालक योग	
1– नवीन रोगी				
2– पुरातन रोगी				
3– योग रोगी				
4– रोगियों की दैनिक औसत				

हस्ताक्षर

नियम – 10 (ट)

परिशिष्ठ –(च)

रोगी रजिस्टर

नाम संस्थाः .....

नाम औषधालय / दवाखाना.....स्थान.....

माह..... वर्ष..... दिनांक.....

क.सं.	दैनिक क.सं.	रोगी का नाम	पुरूष	स्त्री	बालक	आयु	रोग तथा व्यवस्था
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर

नियम संख्या–8

:: परिशिष्ट – ट ::

अ– अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमाः–

1– तकनीकी एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं मानदेय का संबंधित नियमों में उल्लेख किया गया है।

2– अन्य प्रभार

(1) भवन संधारण :– संस्था को निजी भवन होने की स्थिति में पक्के भवन की लागत का 1 प्रतिशत तथा कच्चे भवन की लागत का 2 प्रतिशत की सीमा तक अधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये अनुमोदित के आधार पर 25 हजार रूपये तक की राशि का अनुमोदन विभागीय अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। इस पर अधिक व्यय का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा

शिक्षण व चिकित्सा संस्थाओं के शेष व्यय अलग अलग निम्न प्रकार होंगेः–

3– शिक्षण संस्थाः–

1) भवन किराया :

संस्था का वर्गीकरण	किराया की अधिकतम राशि
(क)	3600/– प्रति वर्ष
(ख)	2400/– प्रति वर्ष
(ग)	1200/– प्रति वर्ष

2) फर्नीचर जीर्णोद्वार व नवीनीकरण

शिक्षण संस्था	वर्गीकरण	अधिकतम राशि की सीमा
1. डिग्री व पोस्ट ग्रेज्युट कालेज	क	1000.00
	ख	500.00
	ग	250.00
2. डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्था	क	500.00
	ख	300.00
	ग	200.00
3. पुस्तकालय	क	1200.00
	ख	800.00
	ग	500.00
4. खेलकूद	क	500.00
	ख	300.00
	ग	150.00
5. द्रव्यगुण प्रायोगिक व शैक्षणिक भ्रमण प्रति छात्र 50.00 की वार्षिक सीमा तक		
6. भैषज्य निर्माण प्रायोगिक–		
डिग्री व पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज हेतु	क	1500.0
	ख	800.00
	ग	500.00

डिप्लोमा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था	क	1000.00 प्रति वर्ष
	ख	600.00 प्रति वर्ष
	ग	300.00 प्रति वर्ष
7. औषधियां चल रहे आतुरालय एवं बहिरंग विभाग के डिग्री एवं पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज हेतु	क	25000.00 प्रति वर्ष
	ख	18000.00 प्रति वर्ष
	ग	12000.00 प्रति वर्ष
डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्था	क	16000.00 प्रति वर्ष
	ख	12000.00 प्रति वर्ष
	ग	8000.00 प्रति वर्ष
8. अन्य छोटे मद (विविध) साज सज्जा, पथ्य, वर्दियां, लेख, मुद्रण, जल व प्रकाश, डाक व तार, टेलीफोन अन्य मद		
डिग्री व पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज हेतु	क	25000.00 प्रति वर्ष
	ख	15000.00 प्रति वर्ष
	ग	10000.00 प्रति वर्ष
डिप्लोमा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था	क	20000.00 प्रति वर्ष
	ख	12000.00 प्रति वर्ष
	ग	8000.00 प्रति वर्ष

(आ) चिकित्सा संस्थाः–

1– भवन किराया — संस्था का निजी भवन न होने की स्थिति में भवन के किराये की अधिकतम सीमा निम्न होगी–

क– 1200.00 प्रति वर्ष
ख– 600.00 प्रति वर्ष
ग– 400.00 प्रति वर्ष

नोटः– आतुरालय हेतु काम में लिये जाने वाले भवन का किराया इस राशि के अतिरिक्त होगी जो कि शैय्याओं की संख्या के आधार पर निदेशक द्वारा निर्धारित की जावेगी।

2– औषधियां :

क– 4000.00 प्रति वर्ष
ख– 2500.00 प्रति वर्ष
ग– 1200.00 प्रति वर्ष

नोटः– जिन (क) श्रेणी को चिकित्सा संस्थाओं में आतुरालय की व्यवस्था होगी उनमें औषधियों की अधिकतम सीमा 12000/– होगी।

3– अन्य छोटे मद

फर्नीचर साज सज्जा, वर्दियां, लेखन, मुद्रण, जल प्रकाश डाक तार टेलीफोन आदि

क– 4000.00 प्रति वर्ष
ख– 2500.00 प्रति वर्ष
ग– 1200.00 प्रति वर्ष

नोटः– जिन (क) श्रेणी चिकित्सालयों में शैय्याओं में आतुरालय की व्यवस्था होगी उनमें अन्य छोटे मदों में व्यय की अधिकतम सीमा 12000/– तक हो सकती है।

नियम संख्या – 8(क)(5)

:: परिशिष्ठ (ड) ::

अनुदान प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या.....
केवल बहिरंग विभाग हेतु–

क्र. सं.	कर्मचारियों का पद व श्रेणी	संस्थाओं की श्रेणी अनुसार मापदण्ड		
		(क)	(ख)	(ग)
1	वैद्य ग्रेड प्रथम श्रेणी	1	–	–
2	वैद्य ग्रेड द्वितीय श्रेणी	1	–	–
3	वैद्य ग्रेड तृतीय श्रेणी	1	2	1
4	उपवैद्य / धात्री प्रथम श्रेणी	1	–	–
5	उपवैद्य / धात्री द्वितीय श्रेणी	2	1	1
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	1	1

आतुरालय की व्यवस्था वाले (अ) श्रेणी औषधालयों के लिये उपर्युक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त निम्न कर्मचारी और भी हो सकते हैं ऐसी शिक्षण संस्थाये जिनमें आतुरालय की व्यवस्था है उनमें भी निम्नानुसार अतिरिक्त कर्मचारी हो सकते हैं:–

क्र.सं.	आतुरालय में चलने वाले शैय्याओं की संख्या	नाम पद	संख्या
1	20 शैय्यओं तक	उपवैद्य	1
		धात्री	1
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
2	50 शैय्याओं तक	वैद्य	1
		उपवैद्य	2
		धात्री	2
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4

नोटः– 50 शैय्याओं के ऊपर प्रत्येक 20 पर उपवैद्य / धात्री 1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1

नियम – 11(घ)

:: परिशिष्ठ – (ज) ::

शिक्षण संस्था..... आय व्यय विवरण पत्र

दिनांक..... मास..... वर्ष..... को समाप्त होने वाली तिमाही

1– नाम संस्था –

2– स्थान –

3– आय रू0 विस्तृत विवरण	व्यय रू0 विस्तृत विवरण
शेष	शेष
योग	योग

4– छात्रों की संख्या कक्षावाईज
छात्रों की उपस्थिति –

5– संस्था की प्रगति–

हस्ताक्षर
पद.....

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–4) विभाग,

क्रमांकः प.14 (7)आयुर्वेद/87/ जयपुर, दिनांक 09.11.1989

" विज्ञप्ति "

इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ.2(17)चि.स्वा./86 दिनांक 3.2.72 द्वारा प्रसारित "राजस्थान आयुर्वेद अनुदान सहायता नियम 1972 के नियम 8(2) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

" अनुदान प्राप्त चिकित्सा/शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों चिकित्सक, कम्पाउण्डर/नर्स व अन्य संवर्ग की योग्यता राज्य सरकार द्वारा समकक्ष कर्मचारियों के लिये निर्धारित योग्यता से कम नहीं होगी। कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद निदेशक, आयुर्वेद विभाग की स्वीकृति के बिना सेवा में नहीं रखा जावेगा। तकनीकी कर्मचारी (चिकित्सक/कम्पाउण्डर/नर्स) को निदेशक, आयुर्वेद विभाग की अनुमति से अधिक से अधिक 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जा सकेगा।"

यह स्वीकृति वित्त विभाग के आई.डी.संख्या 1719/एफ.डी./ग्रुप–2/89 दिनांक 22.9.89 के द्वारा अनुमोदित होकर जारी की जाती है।

भ व दी य,
ह0/–
(ए. के. भटनागर)
डप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–4) विभाग,

क्रमांकः प.25(4)आयुर्वेद/93 जयपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 94.

" विज्ञप्ति "

विषयः– आयुर्वेद विभाग की अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि (पी.एफ.) की राशि के संबंध में ।

उपरोकत विषयांन्तर्गत इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ.2(17)चि. स्वा./66 दिनांक 3.2.72 द्वारा प्रसारित राजस्थान आयुर्वेद अनुदान सहायता नियम 1972 के नियम 8 के उप नियम (5) (ख) में अंकित शब्द व अंक " वेतन की 6 1/4 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द व अंक "वेतन की 8.33 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

यह विज्ञप्ति वित्त व्यय–1 विभाग की आई. डी. संख्या 290/एफ.डी./ईएक्सपी–1/94 दिनांक 10.11.94 तथा वित्त (आय–व्ययक) विभाग की आई.डी. संख्या 1029 दिनांक 15.11.94 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

ह0/–
(जे.पी.गुप्ता)
उप शासन सचिव

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

कमांकः लेखा–10(3)(12)अनु./94–95/59404 दिनांकः 30.12.94

प्रतिलिपिः–
1/ मंत्री/प्राचार्य .....
.....

को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह0/–
वरिष्ठ लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–4) विभाग,

क्रमांकः प.25(38)आयुर्वेद/04 जयपुर, दिनांक 31.03.05.

" विज्ञप्ति "

इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ.2(17)चि.स्वा./86 दिनांक 3.2.72 द्वारा प्रसारित राजस्थान आयुर्वेद अनुदान सहायता नियम 1972 के नियम 8(2) को आंशिक संशोधन के साथ निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

" अनुदान प्राप्त चिकित्सा/शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, चिकित्सक, कम्पाउण्डर/नर्स व अन्य संवर्ग की योग्यता राज्य सरकार द्वारा समकक्ष कर्मचारियों के लिये निर्धारित योग्यता से कम नहीं होगी। कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद निदेशक आयुर्वेद विभाग की स्वीकृति के बिना सेवा में नहीं रखा जावेगा।"

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई. डी. सं. 3408/आर/04 दिनांक 19.11.04 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से
ह0/–
(एस. एन. कुरेशी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद
4. निदेशक,आयुर्वेद विभाग, अजमेर
5. रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसिन/होम्यो. बोर्ड, जयपुर
6. सदस्य सचिव, राज. स्टेट मेडिसिनल प्लान्टस बोर्ड, जयपुर

एस.डी.
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–4) विभाग,

क्रमांकः प.25(4)आयुर्वेद/93 जयपुर, दिनांक 19.3.96.

" विज्ञप्ति "

विषयः– आयुर्वेद विभाग की अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि (पी0एफ0) राशि के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इस विभाग की समसंख्य विज्ञप्ति दिनांक 12.12.94 में अंकित शब्द " वेतन की 8.33 प्रतिशत" के स्थान पर "वेतन + मंहगाई भत्ते की 8.33 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाता है।

यह विज्ञप्ति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई0डी0 संख्या 409 दिनांक 3.2.96 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

ह0/–
उप शासन सचिव

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

कमांकः लेखा–10(3)(12)अनु0/94–95/18490 दिनांक 29.3.96

प्रतिलिपिः–

1. मंत्री/प्राचार्य .....
.....

को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

एस0डी0
वरिष्ठ लेखाधिकारी